

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार 24 मार्च, 2017 / 03 चैत्र, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 the 14th March, 2017

No. EDN-A-Ka (1)-9/2012-Part-1.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to rename Swami Vivekanand Gramodya College Shivnagar taken over vide this department

Notification No. EDN-A-Ka (1)-9/2012-Part-1 dated 30-11-2015 as under.—

"Government Degree College, Shivnagar, Distt. Kangra, H.P."

By order, R. D. DHIMAN, Principal Secretary (Hr. Edu.).

गृह विभाग (सी अनुभाग)

अधिसूचना

शिमला-2, 17 मार्च, 2017

संख्याः गृह—सी (एफ)10—3/2015.——राज्य सरकार यह समीचीन समझती है कि कतिपय स्थानों में अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए पूर्वावधानियाँ बरती जानी चाहिए ;

और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एस0 ओ0 568 (ई) तारीख 24-09-1974 द्वारा, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की धारा 2 की उपधारा (8) के खण्ड (ग) और (घ) में विनिर्दिष्ट मामले के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को हिमाचल प्रदेश सरकार को सौंपा है; और

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की धारा 2 की उपधारा (8) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु, नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट स्थान को, इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से, प्रतिषिद्ध स्थान घोषित करते हैं।

अनुसूची

स्थान का नाम

(1)

(2)

400 / 220 के0 वी0

गांव चौकी कनकरी, डाकघर डिडवीं
जी0 आई0 एस0 हमीरपुर उप केन्द्र।

तहसील एंव जिला हमीरपुर,
हिमाचल प्रदेश।

आदेश द्वारा,
प्रबोध सक्सेना,
प्रधान सचिव (गृह)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Home-C (F) 10-3/2015,

HOME DEPARTMENT (C-SECTION)

as required under article 348(3) of the Constitution of India]

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th March, 2017

No. Home-C(F)10-3/2015.—Whereas, the State Government considers it expedient that precautions should be taken to prevent the entry of unauthorized persons into certain places;

And whereas, the Government of India, Ministry of Home Affairs, vide S.O. 568 (E) dated 24-09-1974 has entrusted the functions of the Central Government to the Government of Himachal Pradesh in relation to matter specified in clauses (c) and (d) of sub-section (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923; and

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (8) of section-2 of the Official Secrets Act, 1923, the Governor of Himachal Pradesh hereby declares that place(s) specified in column (1) of the schedule given below to be a prohibited place(s) for the purposes of the said Act with effect from the date of publication of this Notification in the Raipatra, Himachal Pradesh.

SCHEDULE

Name of Place Locality and other descriptions; (1) (2) 400/220 KV, Village Chowki Kankari, PO Didwin GIS Hamirpur Sub Station Tehsil & District Hamirpur, Himachal Pradesh By order, PRABODH SAXENA, Principal Secretary (Home). उद्यान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 मार्च, 2017

संख्याः एच.टी.सी.ए (3)-3/2003(ए.ओ).--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, उद्यान विभाग में प्रशासनिक अधिकारी, वर्ग-। (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध- "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नित नियम बनाते है, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग, प्रशासनिक अधिकारी, वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2017 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- निरसन और व्यावृत्तियां.——(1) अधिसूचना संख्याः उद्यान –क(3)–1/88 तारीख 26–04–1990 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर संशोधित हिमांचल प्रदेश,उद्यान विभाग, प्रशासनिक अधिकारी, वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नित नियम, 1990 का एतद द्वारा निरसन किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा. जगदीश चंद्र शर्मा. प्रधान सचिव (उद्यान)

उपाबन्ध–''क''

हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग में प्रशासनिक अधिकारी, वर्ग—।(राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नित नियम :

- 1. पद का नाम.—प्रशासनिक अधिकारी
- **2. पद की संख्या.—**1 (एक)
- 3. वर्गीकरण.—वर्ग-। (राजपत्रित)
- 4. वेतनमान.——₹15,600—39100 जमा, ₹ 5400 / -(ग्रेड पे)
- 5. चयन पद अथवा अचयन पद.——लागू नहीं।
- 6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**——लागू नहीं।
- 7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति शैक्षिक और अन्य अर्हताए.—(क) अनिवार्य अर्हता : लागू नहीं। (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम
 - (ख) वांछनीय अर्हता : लागू नहीं।
- 8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों)के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं.——आयुः लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताः लागू नहीं।

- 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.— लागू नहीं।
- 10. भर्ती की पद्वतिः भर्ती सीधी होगी पर या प्रोन्निति/सैकण्डमेंट/स्थानातरण/स्थानन द्वारा और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरे जाने वाले पद(पदों) की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत स्थानन द्वारा ऐसा न होने सैकण्डमेंट आधार पर।
- 11. <u>प्रोन्निति (सैकेंडमेंट / स्थानातंरण</u> द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नित (सैकेंडमेंट / स्थानातंरण किया जाएगा.—अधीक्षक ग्रेड—। (अयोग्य के अस्वीकरण के अध्यधीन विरष्ठता के आधार पर) में से स्थानन द्वारा जिनका 03 (तीन) वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 03 (तीन) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर अधीक्षक ग्रेड—। (अयोग्य के अस्वीकरण के अध्यधीन विरष्ठता के आधार पर) में से स्थानन द्वारा जिनका अधीक्षक ग्रेड—। और अधीक्षक ग्रेड—।। के रूप में संयुक्ततः छह वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके 06 (छह) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमे अधीक्षक ग्रेड—। के रूप में एक वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगीः दोनो के न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागो / बोर्डो / निगमों में इस पद के समरूप वेतनमान मे कार्यरत पदधारियों में से सैकेण्डमैण्ट आधार पर।

प्रोन्नित के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय / किठन क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु उपरोक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो : परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों / कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :— उपरोक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में कार्यकाल से साधारणतया तीन वर्ष की अविध या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अविध अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण। :- उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :-

- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
- 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमीर उप–मण्डल।
- 3. रोहडू उप -मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
- 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
- 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
- 6. कांगडा जिला के बैजनाथ उप–मण्डल का बडा भंगाल क्षेत्र।
- 7. जिला किन्नौर।
- 8. सिरमौर जिला में उप—तहसील कमरउ के काठमाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़—भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
- 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल—बगडा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ, ट्रैला, रोपा,कथोग, सिल्ह—भड़वानी हस्तपुर,घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच— बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।
- (1) प्रोन्नित के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नित के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नित भर्ती और प्रोन्नित नियमों के उपलब्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई किनष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सिहत, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे विरष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय किनष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो,होगी: परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नित किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है,तो वहां उससे किनष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नित के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरणः—(I) अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत किनष्ठ पदधारी प्रोन्नित के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यिद विरष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम—3 उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

- (II) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नित उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नित नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु उपरोक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
- 12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति जैसी सरकार द्वारा समय—समय पर विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—गठित की जाए।
- 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयेग से परामर्श किया जाएगा.——जैसी विधि द्वारा अपेक्षित हो।
 - 14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.——लागू नहीं।
 - 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.——लागू नहीं।
- 16. आरक्षण—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों / अनुदेशों के अधीन होगी।
- **17. विभागीय परीक्षा.**—सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय—समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।
- 18. शिथित करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद(पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

[Authoritative English Text of H.P. Government Notification No. HTCA(3)-3/2003-(AO), dated: 04-03-2017 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution.]

HORTICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 04th March, 2017

No. HTC-A(3)-3/2003(AO).—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal

Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Administrative Officer, Class-I(Gazetted), in the Department of Horticulture, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely.—

- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Horticulture Department, Administrative Officer, Class-I, (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2017.
- (2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra Himachal Pradesh.
- **2. Repeal and savings:.**—(1) The Himachal Pradesh Horticulture Department, Administrative Officer, Class-I, (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules 1990, notified vide Notification No. Udyan-Ka(3)-1/88, dated 26-4-1990 & amended from time to time, are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, any appointment made, or anything done or any action taken under the rules so repealed under rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order, JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary(Hort.)

ANNEXURE-"A"

Recruitment and Promotion Rules for the post of Administrative Officer Class-I, (Gazetted) in the Department of Horticulture, Himachal Pradesh.

- 1. Name of the Post.—Administrative Officer
- 2. Number of Post.—1 (One)
- **3.** Classification.—Class-I (Gazetted)
- 4. Scale of Pay.—₹ 15600-39100+₹ 5400 (GP)
- 5. Whether "Selection Post" or "Non Selection" Post.—Not applicable
- **6. Age for direct recruitment.**—Not applicable
- 7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruitment(s).—(a) Essential qualification: Not applicable
 - (b) Desirable Qualification: Not applicable
- 8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion(s).—Age: Not applicable

Educational Qualification: Not applicable.

- 9. Period of probation, if any.—Not applicable.
- 10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/secondment transfer/placement and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by placement failing which on secondment basis.
- 11. In case of recruitment by promotion, secondment/ transfer, grades from which promotion/secondment/transfer is to be made.—By placement from amongst the Superintendent Grade-I (on the basis of seniority subject to rejection of unfit) possessing 03 (three) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade, failing which by placement from amongst the Superintendent Grade-I (on the basis of seniority subject to rejection of unfit) possessing 06 (six) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Superintendent Grade-I & Superintendent Grade-II combined, which shall also include 01 (one) year essential service as Superintendent Grade-I failing both on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale from other Departments/Boards/Corporations of H.P. Government:

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation:

Provided further that officers/officials, who have not served at least one tenure in Tribal/Difficult areas, shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I: For the purpose of proviso (1) supra the "term in Tribal/Difficult area" shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II: For the purpose of proviso (I) supra the "term in Tribal/Difficult areas" shall be as Under.—

- 1. District Lahaul & Spiti.
- 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
- 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub Division.
- 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.
- 5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
- 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
- 7. District Kinnaur.
- 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

- 9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kallipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.
- (1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

- **EXPLANATION.**—(I) The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservations of Vacancies in Himachal State Non-Technical services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provision of Rule-3 of Ex-servicemen (Reservations of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules 1985 and having been given the benefit of seniority there under.
- (II) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

- 12. If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.
- 13. Circumstance under which the HPPSC is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.
 - 14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not Applicable
 - 15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Not applicable.

- **16. Reservation.**—The appointment to this service shall be subject to orders/instructions regarding reservation in the service for Scheduled Casts/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Govt. from time to time.
- 17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.
- 18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

MPP & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, March, 2017

No. MPP-F(5)-17/2014-IV,.—In partial modification to this department's Notification No. MPP-F (5)-3/97-XX dated 22.10.2013 & MPP-F (5)-17/2014 dated 04.04.2015, the Governor Himachal Pradesh is pleased to order that the existing State Level Standing Committee constituted for Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojna (RGGVY) & Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojna (DDUGJY) as referred vide Government of India, Ministry of Power Office Memorandum No. 44/44/2014-RE dated 3rd December, 2014 is hereby amended to comprise of the following members:-

1. The Chief Secretary to the Government of Chairman Himachal Pradesh.

2. The ACS (Power)-cum-Chairman, HPSEBL/
Addl. Chief Secretary (Power) to the
Government of Himachal Pradesh.

3. The Pr. Secretary (R.D & Panchyati Raj) to the Government of Himachal Pradesh

4. The Managing Director, HPSEBL Member

The Director (Operation), HPSEBL
 The Chief Engineer (System Planning), HPSEBL Member

Secretary

By order, TARUN SHRIDHAR, Addl. Chief Secretary (Power).

MPP & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, The March, 2017

No. MPP-F (5)-17/2014-IV,.—In partial modification to this department's Notification No. MPP-F (5)-3/2007-III dated 16.03.2009, MPP-F (5)-17/2014 dated 04.04.2015 and MPP-F (5)-17/2014-I dated 29-05-2015, the Governor Himachal Pradesh is pleased to order that the existing State Level Standing Committee constituted for Restructured Accelerated Power Development and Reforms Programme (R-APDRP) & Integrated Power Development Scheme (IPDS) as referred vide Government of India, Ministry of Power Office Memorandum No. 44/44/2014-RE dated 3rd December, 2014 is hereby amended to comprise of the following members.—

1. The ACS (Power)-cum-Chairman, HPSEBL/Addl. Chief Secretary (Power) to the Government of Himachal Pradesh Chairman

2. The Pr. Secretary (Urban Development) to the Government of Himachal Pradesh

Member

3. The Managing Director, HPSEBL

Member

4. The Director (Operation), HPSEBL

Member

5. The Chief Engineer (System Planning), HPSEBL

Member Secretary

By order, TARUN SHRIDHAR, Addl. Chief Secretary (Power).

HIMACHAL PRADESH STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD, VIPNAN BHAWAN, KHALINI, SHIMLA-171002

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th March, 2017

No. HMB (B) 2-25/98-II.—In exercise of the powers conferred under sub clause (c) of section 85 of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 & pursuant to decision dated 11.01.2017 of the Service Committee obtained vide FD letter No. FIN-IF(C)-34-2/91- III dated 28.1.2017, A.D. letter No. Agr-B-F(7)-4/2016 dated 22.2.2017 followed by BoM decision vide resolution No. 18 dated 21.2.2017, H.P. State Agricultural Marketing Board makes following regulations to amend the (Recruitment and Conditions of Service of Officers and Staff) Regulations,2006 notified vide Notification No. HMB (B) 2-37/2006 dated 3rd September 2007, namely;

1. Short title and Commencement.—(i) These regulations may be called the Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board (Recruitment and Conditions of Service of Officers and Staff) (Amendment) Regulations, 2017.

(ii) These shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

"

2. Amendment of schedule I & II.—In the schedule-I appended to the Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board (Recruitment and Conditions of Service of Officers and Staff) Regulations,2006" (hereinafter referred to as the "said regulations); (a) for existing provisions of sanctioned strength against Assistant Auction Recorders, following shall be substituted with revised strength, namely:—

"34 (Thirty four)";

(b) For existing provisions against col. Nos. 7(a) for essential qualification provides for Assistant Auction Recorders, following shall be substituted, namely:—

"10+2 with proficiency in computer applications.

(c) For existing col. No. 10 following proviso(s) shall be added, namely:—

"Provided; eligible daily waged clerks with experience, already appointed, may be regularized with prospective effect as per policy of Regularization issued by the Government from time to time as a measure personal to them.

Provided further; thereafter, on accrual of vacancies due to consequence of retirement or otherwise, all posts shall be filled up as per these regulations."

(d) For existing col. No. 11 following proviso(s) shall be substituted, namely:—

"10+2"

3. In schedule I & II.—for existing provisions of sanctioned strength, vis-à-vis 5 posts of Steno and 1 Junior Scale Stenographer & 5 posts of Computer Data Operator, which shall henceforth abolished, in lieu, following shall be substituted;

"10 nos. of post of Junior Office Assistant (IT) in the pay band of Rs. 5910- 20200 +1950 Grade pay."

- (a) The Recruitment & Promotion Rules of the Government Departments for these posts vide DoP Notification No. Per (AP) C-A (3)-1/2007-I dated 24.12.2014 & No. Per (AP-B) B (1 l-1 12012 dated 09-10-2016, are herby adopted.
- **4.** For existing provisions of sanctioned strength against the posts of Peon-Cum-Chowkidar, following shall be substituted with revised strength, namely:—

"78 (Seventy eight)"

(a) For existing provisions of col. No. 10 of the R & P Rules for Peon-Cum-Chowkidar, following proviso(s) shall be added, namely:—

"Provided; eligible daily waged workers, class-iv, with experience, already appointed, may be regularized with prospective effect as per policy of Regularization issued by the Government from time to time as a measure personal to them and one time relaxation.

Provided further; thereafter, on accrual of vacancies due to consequence of retirement or otherwise, all posts shall be filled up as per these regulations."

- 5. For existing col. Nos. 7(a) for essential qualification provides for R & P Rules for the post of Clerks, following shall be substituted, namely:—
 - (i) Bachelor's degree or its equivalent from recognized University.
 - (ii) Should possess a minimum speed of 30 words in English typing or 25 words per minute in Hindi Typing on computer.
 - (iii) Should have the knowledge of "word processing" in computer as prescribed by the Recruiting Authority.
 - (b) For existing col. Nos. 8, 10 &11, following shall be substituted to the extent of essential qualification, namely:—

"As required for direct recruits"

,,,

MANAGING DIRECTOR
CUM-MEMBER SECRETARY.

H. P. State Agricultural Marketing Board VIPNAN BHAWAN, KHALINI, SHIMLA-171002. Ph. 0177-2621252, 2621347, FAX: 2621260

E mail: hpmarketingboard@yahoo.co.in, Web: hpsamb.nic.in

NOTIFICATION

HMB-(B)6-1/97 Vol V:—Pursuant to the decision dated 11.01.2017 of the Service Committee received vide FD letter No. FIN-IF(C)-34-2/91-III dated 28.1.2017, A.D. letter No. Agr-B-F(7)- 4/2016 dated 21.2.2017 followed by BoM decision vide resolution No. 18 dated 21.2.2017 & resolution No. 37 dated 30.6.2014 on rationalization of staff and revisions of sanctioned strength of AAR and Peon-Cum Chowkidar under the Himachal Pradesh Agricultural Marketing Board(Recruitment and Conditions of Service of Officers and Staff) Regulations, 2006 following staff norms in lower tier of AAR and Peon-Cum Chowkidar, from area of surplus to area of need in the public/APMCs interest are hereby notified with immediate effect.

"REVISED STAFFING NORMS OF AARs and PEON-CUM-CHOWKIDAR'S FOR BAORD/ APMC'S IN HIMACHAL PRADESH.

Sr. No.	Name of APMCs	Name of Mandi	Assistant Auction Recorder	Peon-cum- Chowkidar
1.	APMC Kullu & Lahul Spiti at Kullu, H.P.	Office	-	03
2.		Market Yard Kullu	-	01
3.		Market Yard Chauri Bihal	01	01
4.		Market Yard Khegsu	01	01
5.		Market Yard Banjar	01	-
6.		Market Yard Nirmand	-	01
7.		Market Yard Bhuntar	01	01
8.		Market Yard Bandrol	01	01
9.		Market Yard Patlikuhal	01	01
		Total	06	10
10.	APMC Bilaspur Dist. At Bilaspur	Office	-	02
11.		APMC, PMY, Bilaspur	-	01
12.		Market Yard, Namhol	01	01
13.		Total	01	04
14.	APMC Sirmaur Distt. At Paonta Sahib	Office	-	02
15.		Market Yard Paonta Sahib	01	01
16.		Market Yard Nahan	-	01
17.		Market Yard Dadahu	01	01
18.		Market Yard Bagthan	-	-
19.		Market Yard Sarahan	01	01
20.		Total	03	06
21.	APMC Hamirpur	Office APMC	-	02

	Dist. At Hamirpur			
22.		Market Yard Hamirpur	1	01
23.		SMY, Jahu	1	01
24.		APMC, SMY, Nadaun	1	01
25.		Total	02	05
26.	APMC Mandi Distt. At Mandi	Office	-	02
27.		Market Yard. Mandi, Kangni	01	01
28.		Market Yard Dhanotu	01	01
29.		Market Yard Takoli	01	01
30.		Market Yard Joginder Nagar	01	01
31.		Market Yard Karsog	01	01
32.		SMYBali Chowki	-	01
33.		Total	05	08
34.	APMC Kangra Dist. At Kangra	Offfice	-	03
35.		Market Yard, Dharamshalla	-	01
35.		SMY Palampur	01	01
36.		SMY Jassour	01	01
37.		SMY Jawala Ji	-	01
38.		SMY Jai Singhpur	-	01
39.		SMY, Nagrota Bagwan	01	01
40.		SMY Baijnath	01	01
41.		Kisan Rest House Ichhi		01
42.		Total	04	11
43.	APMC Solan Distt. At Solan, H.P.	Office	-	03

	W-11-1, TC 1	1 101 31 (11, 21 11 11, 2011) 00	111, 1000	
44.		PMY Solan	01	01
45.		Market Yard Nalagarh	01	01
46.		Terminal Market Yard Parwanoo	01	01
47.		SMY Chakki Ka Mod	01	01
48.		Dharampur	01	01
49.		Rajgarh	01	01
50.		Total 06		09
51.	APMC Shimla & Kinnaur Dist. At Dhalli Shimla, H.P.	Office	-	03
52.		Market Yard Tapri	-	01
53.		Market Yard Kharapather	-	01
54.		Market Yard Nerwa	01	01
55.		Market Yard Theog	01	01
56.		Market Yard Anu	-	-
57.		Principal Market Yard Dhalli- Shimla	01	01
58.		Principal Market Yard-2 Bhattakufar- Shimla	01	01
59.		Market Yard Rohru	01	01
60.		Modern F & V Market Yard Parala.		01
61.		SMY Rampur	01	01
62.		Total	06	12
63.	APMC Una, H.P.	Office	-	02
64.		PMY Una		01
65.		Santoshgarh	01	01
66.		Total	01	04

67.	APMC Chamba	Office	-	01
68.		PMY Chamba	-	01
69.		Tunnu Hattti	-	01
70.		Total	-	03
71.	HPSAMB	Total	-	06
72.				
73.		Total Revised Strength	34	78

By order, Dr. H. S. Baweja, Managing Director -Cum-Member Secretary.

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23, March, 2017

No.Fin-2-C-(12)-2/2016.—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of ₹ 700.00 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called Specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the loan

- 1. (i) The proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.
- (ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.

Method of Issue

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-Competitive Bidders

3. The Government Stock upto 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

Place and Date of Auction

- 4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on **March 27, 2017.** Bids for the auction should be submitted in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System as stated below on **March 27, 2017**.
 - (a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10:30AM and 12:00 PM.
 - (b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10:30 AM and 11:30 AM.

Result of the Auction

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on **March 29, 2017.**

Method of Payment

6. Successful bidders will make payments on **March 29, 2017** before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai(Fort)/New Delhi.

Tenure

7. The Stock will be of **10-year** tenure. The tenure of the Stock will commence on March 29, 2017.

Date of Repayment

8. The loan will be repaid at par on March 29, 2027.

Rate of Interest

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on **September 29** and **March 29**.

Eligibility of Securities

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under

Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh

Addl. Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh Finance Department.

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER MUNICIPAL COUNCIL DEHRA DISTT. KANGRA H.P.

NOTIFICATION

21st March, 2017

No.209/MCD.—The following Bye Laws made by the Municipal Council Dehra for regulating the Posting of Bills Hoardings, Advertisements Sign Boards, in exercise of the power conferred by section 202(O) read with section 217 of the Himachal Pradesh Municipal Act,1994(13 of 1994) having been confirmed by State Govt. as required under Section 217 of the aforesaid Act are here by published for general information namely.

BYE-LAWS TO REGULATE POSTINGS OF BILLS, HOARDINGS, ADVERTISEMENTS OF MUNICIPAL COUNCIL DEHRA.

- 1. Short title commencement and application.—These Bye-Laws may be called the Municipal, Council Dehra (Regulation of Posting of Bills and fixing of advertisement hoarding, sign boards etc) Bye-Laws, 2008.
- (1) They shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
 - (2) They shall apply to Dehra Municipal Council area.
 - 2. **Definitions.**—In these bye laws unless the context otherwise requires:—
 - (a) "Act" means the Himachal Pradesh, Municipal Act, 1994.
 - (b) "Bills" means any poster, notice and advertisement printed on paper of Board or painted on Hoardings, Sign boards or walls etc. And hung on poles etc.
 - (c) "Council" means the Municipal Council Dehra and
 - (d) "Schedule" means the schedule indicating the rate in respect of sign Boards.
- **3.** Prohibition of sticking, fixing hanging or painting bills, posters, advertisement, notice etc:-No person shall without the written permission of the Executive Officer Municipal Council Dehra, stick, fix or hung or cause to be fixed stick, or hung or paint bills, posters, advertisement, notice over any place or property whether private or public in public street or road in contravention of the following condition:
 - i. Hoarding shall not be allowed in the required width the national/state high ways and other scheduled roads as they cause traffic hazard and are against the instructions of the Govt. of India and Hon'ble Himachal Pradesh High Court.

- ii. No hoardings, advertisements shall be put on the valley side above the road level (including on the roofs of buildings) to preserve the aesthetics, scenic beauty and the views of hills.
- iii. No hoardings, advertisements shall be put at the place where it affects, endangers the growth of flora.
- iv. No hoardings shall be located in thickly wooded area and no wire of any kind shall be placed on trees;
- v. No hoardings advertisements shall exceed dimension size of 16 Sq. Meters;
- vi. No hoardings advertisement shall be against the guidelines of the PWD;
- vii. No hoardings advertisement shall be located near a water source.
- viii. No hoarding advertisement shall be in the form of writing engraving nailing and carving on any natural animate or inanimate object;
- ix. No hoarding advertisement shall be located to the road. No hoardings advertisement should be located on a sharp "U" turn and blind turns; and
- x. The beauty of nature formation such as bills, rivers, trees and rocks shall not be destroyed by indiscriminate installation of commercial advertisements.
- **4. Exemption.**—Subject to the conditions mentioned in Bye Laws 3 private boards may be erected on respective premises by Govt. Officers, Association or mercantile firms, for posting their own notices, advertisements etc.

Prohibition of displaying indecent picture or language. Advertisement containing indecent picture or language shall not be allowed Executive Officer Municipal Council shall be authority to decide as to the decency or otherwise of the advertisements and the appeal against the decision shall be made to the President Municipal Council Dehra whose decision shall be final.

- **5. Fee for Permission.**—(i) fee @Rs. 300/- per sqm. Shall be payable for every permission granted under bye- laws no. 3 above per annum.
 - (ii) Cloth Banners @ Rs.100/- per month per banner.
- **6.** When a person desire to remove the advertisement, he will put the space as it was before.
- 7. **Penalties.**—Whoever contravenes any of these bye- laws shall be punishable with fine which may extend to Five thousand Rupees and when the contravention is continuing one, with further fine which may extend to Rupees 200/- for every day, after the first day during which such contravention continues.

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0

श्रीमती कल्पना ठाकुर पत्नी श्री रमेश कुमार, निवासी गांव घोल्टी, डा० सरौल, तहसील व जिला चम्बा, हि० प्र०।

आम जनता

श्रीमती कल्पना ठाकुर पत्नी श्री रमेश कुमार, निवासी गांव घोल्टी, डा० सरौल, तहसील व जिला चम्बा, हि० प्र० ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजार कर निवेदन किया है कि उसका सही नाम कल्पना ठाकुर है जो शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रमाण–पत्र, मतदाता पहचान–पत्र, निजी आधार कार्ड में सही दर्ज है, परन्तु पंचायत अभिलेख सरौल में शिमला देवी गलत दर्ज हुआ है, जिसकी दरुस्ती हेतु प्रार्थना की है।

अतः इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती बारे अगर किसी भी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह इस अदालत में इस इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर वकालतन या असालतन पैरवी मुकद्दमा करें। इसके पश्चात् किसी भी प्रकार का उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा उपरोक्त के नाम दरुस्ती बारे आदेश अदालत से जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 09–02–2017 को मेरे हस्ताक्षर मोहर सहित अदालत से जारी हुए।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — उप—मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि० प्र०।

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0

परमजीत सिंह पुत्र दुनी चंद, निवासी लिगा, तहसील सलूनी, जिला चम्बा

बनाम

आम जनता एवं कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् चम्बा

विषय.--नाम दरुस्ती सम्बन्धी।

इस अदालत में परमजीत सिंह पुत्र दुनी चंद, निवासी लिगा, तहसील सलूनी, जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त दी है कि उसकी पत्नी का सही नाम शारदा है लेकिन उनके पुत्र नामक अभिजीत सिंह ने नगर परिषद् चम्बा द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण पत्र में उसकी पत्नी का नाम आरती गलत दर्ज है जिसे दरुस्त करके आरती के बजाये शारदा दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि परमजीत सिंह पुत्र दुनी चंद, निवासी लिगा, तहसील सलूनी, जिला चम्बा की पत्नी के नाम दरुस्ती करने बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपित है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपित इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर—भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अविध में आपित न आने की सूरत में प्रार्थी की पत्नी का नाम उसके पुत्र के जन्म तिथि प्रमाण पत्र में दरुस्त करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रिजस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – उप–मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0

आशो राम पुत्र चतरो राम, निवासी खग्गा, डाकघर कीडी, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत अठ्लूई, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में आशो राम पुत्र चतरो राम, निवासी खग्गा, डाकघर कीडी, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री हीना देवी की जन्म तिथि 15—08—2010 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत अठ्लूई, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि हीना देवी पुत्री आशो राम, निवासी खग्गा, डाकघर कीडी, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत अठ्लूई, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपित इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर—भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अविध में आपित न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रिजस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत अठ्लूई, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी ह्ये।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – उप–मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप–मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0

धन्नो देवी पत्नी कुलदीप सिंह, निवासी मुहला हरदासपुर, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं नगर परिषद् चम्बा

विषय --- जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में धन्नो देवी पत्नी कुलदीप सिंह, निवासी मुहला हरदासपुर, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके पोते सुखवीर सिंह की जन्म तिथि 11–05–2012 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना नगर परिषद् चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि धन्नो देवी पत्नी कुलदीप सिंह, निवासी मुहला हरदासपुर, तहसील चम्बा के पोते की जन्म तिथि को नगर परिषद् चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपित्त है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपित्त इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर—भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपित्त न आने की सूरत में प्रार्थी के पोते की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रिजस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर परिषद् चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27–02–2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — उप—मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा

सन्जू पुत्र भिंदर सिंह, गांव कठ्वाडी, डाकघर मैहला, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत मैहला, विकास खण्ड मैहला

विषय.--जन्म तिथि दरुस्ती सम्बन्धी।

इस अदालत में सन्जू पुत्र भिंदर सिंह, गांव कठ्वाडी, डाकघर मैहला, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 05—01—1995 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत मैहला, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि सन्जू पुत्र भिंदर सिंह, गांव कठ्वाडी, डाकघर मैहला, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मैहला, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपित है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपित इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर—भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अविध में आपित न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रिजस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत मैहला, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – उप–मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप—मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0

श्री मुहम्मद फारुख पुत्र इस्राईल, गांव बगडोह, डाकघर जडेरा, तहसील व जिला चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जडेरा, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री मुहम्मद फारुख पुत्र इस्राईल, गांव बगडोह, डाकघर जडेरा, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके बच्चों की जन्म तिथि निम्नलिखित है :-

क्रम संख्या	नाम	जन्म तिथि
1.	आशिया	20-12-2010
2.	आयात	17-12-2012

लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत जडेरा, विकास खण्ड चम्बा, तहसील व जिला चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री मुहम्मद फारुख पुत्र इस्राईल, गांव बगडोह, डाकघर जडेरा, तहसील व जिला चम्बा के पुत्र व पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत जडेरा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपित है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपित इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर—भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अविध में आपित न आने की सूरत में प्रार्थी के बच्चों की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रिजस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत जडेरा, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी ह्ये।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – उप–मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा

अजय कुमार पुत्र अमरो, गांव जघडुई, डाकघर साच, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत ओडा, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में अजय कुमार पुत्र अमरो, गांव जघडुई, डाकघर साच, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 01—12—1995 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत ओडा, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अजय कुमार पुत्र अमरो, गांव जघडुई, डाकघर साच, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत ओडा, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपित है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपित इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर—भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अविध में आपित न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रिजस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत ओडा, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / – उप–मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0 ।

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप–मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा

रविंदर कुमार पुत्र जय राम, गांव झोगा, डाकघर कंदला, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत कंदला, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में रविंदर कुमार पुत्र जय राम, गांव झोगा, डाकघर कंदला, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 25—11—1989 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत कंदला, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि रविंदर कुमार पुत्र जय राम, गांव झोगा, डाकघर कंदला, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कंदला, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपित है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपित इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर—भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अविध में आपित न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रिजस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत कंदला, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – उप–मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप—मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा

पंकज कुमार शर्मा पुत्र भीलो राम, गांव झोगा, डाकघर कंदला, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत कंदला, विकास खण्ड चम्बा

विषय --- जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में पंकज कुमार शर्मा पुत्र भीलो राम, गांव झोगा, डाकघर कंदला, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 24—12—1991 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत कंदला, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि पंकज कुमार शर्मा पुत्र भीलो राम, गांव झोगा, डाकघर कंदला, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कंदला, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपित है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपित इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर—भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अविध में आपित न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रिजस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत कंदला, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — उप—मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा

श्री रोशन दीन पुत्र नूर हुसैन, गांव सनोथ, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री रोशन दीन पुत्र नूर हुसैन, गांव सनोथ, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके पुत्र व पुत्री की जन्म तिथि निम्नलिखित है :--

क्रम संख्या	नाम	जन्म तिथि
1.	याकूब	02-03-1999
2.	जैतून	04-05-2001

लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा, तहसील व जिला चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री रोशन दीन पुत्र नूर हुसैन, गांव सनोथ, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा के पुत्र व पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत प्रौथा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपित है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपित इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर—भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अविध में आपित न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र व पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रिजस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / – उप–मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप—मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा

श्री फते मुहम्मद पुत्र नूर हुसैन, गांव सनोथ, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा

विषय.——जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री फते मुहम्मद पुत्र नूर हुसैन, गांव सनोथ, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके पुत्रों व पुत्रियों की जन्म तिथि निम्नलिखित है।

क्रम संख्या	नाम	जन्म तिथि
1.	अशोक अली	05-04-2014
2.	मुराद अली	08-10-2012
3.	अरफान अली	04-05-2010
4.	जुलेखा	04-08-2008
5.	जुल्फा	03-05-2005

लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा, तहसील व जिला चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री फते मुहम्मद पुत्र नूर हुसैन, गांव सनोथ, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा के पुत्रों व पुत्रियों की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत प्रौथा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपित है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपित इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर—भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अविध में आपित न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्रों व पुत्रियों की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रिजस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — उप—मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप—मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा

वरुण महाजन पुत्र देव राज महाजन, निवासी परेल, डाकघर सुल्तानपुर, चम्बा

बनाम

आम जनता एवं नगर परिषद् चम्बा

विषय — नाम बदलने बारा।

इस अदालत में वरुण महाजन पुत्र देव राज महाजन, निवासी परेल, डाकघर सुल्तानपुर, चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री का नाम गनिका महाजन दर्ज है जिसे वह बदलकर जान्या महाजन रखना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वरुण महाजन पुत्र देव राज महाजन, निवासी परेल, डाकघर सुल्तानपुर, चम्बा की पुत्री के नाम को नगर परिषद् चम्बा के अभिलेख में दरुस्त दर्ज करने बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपित्त है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपित्त इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर—भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अविध में आपित्त न आने की सूरत में प्रार्थी का पुत्री का नाम बदलने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यू नगर परिषद् चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी ह्ये।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — उप—मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप–मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा

बाघु पुत्र नूर मोहम्मद, निवासी तलेशा, डाकघर जडेरा, तहसील चम्बा, हि० प्र०

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जडेरा, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म-तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में बाघु पुत्र नूर मोहम्मद, निवासी तलेशा, डाकघर जडेरा, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री बरुफा की जन्म तिथि 26—01—2014 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत जडेरा, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि बाघु पुत्र नूर मोहम्मद, निवासी तलेशा, डाकघर जडेरा, तहसील चम्बा की पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत जडेरा, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपित है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपित इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर—भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अविध में आपित न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रिजस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत जडेरा, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – उप–मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप–मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा

अभिनंदन महाजन पुत्र वीरेन्द्र महाजन, मुहल्ला चमेशनी, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं नगर परिषद् चम्बा

विषय.-जन्म तिथि दरुस्ती सम्बन्धी।

इस अदालत में अभिनंदन महाजन पुत्र वीरेन्द्र महाजन, मुहल्ला चमेशनी, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 07—04—1993 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना नगर परिषद् चम्बा में दर्ज न है। अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अभिनंदन महाजन पुत्र वीरेन्द्र महाजन, मुहल्ला चमेशनी, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को नगर परिषद् चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर—भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अविध में आपित न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर परिषद् चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – उप–मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा

राजिन्द्र सिंह पुत्र तेज सिंह, मुहल्ला सुराडा, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं नगर परिषद् चम्बा

विषय.-जन्म तिथि दरुस्ती सम्बन्धी।

इस अदालत में राजिन्द्र सिंह पुत्र तेज सिंह, मुहल्ला सुराडा, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म—तिथि 07—08—1950 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना नगर परिषद् चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजिन्द्र सिंह पुत्र तेज सिंह, मुहल्ला सुराडा, तहसील चम्बा की जन्म—तिथि को नगर परिषद् चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपित इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर—भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अविध में आपित्त न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर परिषद् चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / – उप–मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

In the Court of Arindam Chaudhary, IAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of:

Jaspal Singh aged 30 years s/o Shri Joginder Singh, r/o Village Dhangota, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

and

Khushboo aged 24 years d/o Shri Gaurav Sharma, r/o Village Panthiani, P.O. Dhangota, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.) . . . *Applicants*.

Versus

General Public

<u>Subject</u>.— Notice under the Special Marriage Act, 1954.

Jaspal Singh and Khushboo have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and other supported documents in the court of undersigned in which they stated that they solemnized marriage on 23-09-2016.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection for this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 06-04-17. The objection received after 06-04-17 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 01-03-2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

In the Court of Arindam Chaudhary, IAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of:

Vinod Kumar aged 30 years s/o Shri Amar Singh, r/o Village Anu Khurd, Tehsil and District Hamirpur (H.P.).

and

Sapna Devi aged 23 years d/o Shri Jagdish Chand, r/o Village Jhinjkari, P.O. Mair, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) . . *Applicants*.

Versus

General Public

Subject.— Notice under the Special Marriage Act, 1954.

Vinod Kumar and Sapna Devi have filed an application under Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and other documents in the court of undersigned in which they stated that they intend to solemnized marriage within three calendar months.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection for this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 06-04-2017. The objection received after 06-04-2017 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 06-03-2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-*Marriage Officer*-cum-*Sub Divisional Magistrate*,

arriage Officer-cam-suo Divisionai Magistrate, Hamirpur (H.P.).

In the Court of Arindam Chaudhary, IAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of:

Kulbir Singh aged 23 years s/o Shri Bamdev, r/o Village Daboh, P.O. Bagwara, Tehsil Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.).

and

Sapna Devi aged 22 years d/o Shri Sarwan Singh, r/o Village Patnaun, P.O. Dhar, Tehsil Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.)

. . Applicants.

Versus

General Public

<u>Subject</u>.— Notice of the Intended Marriage.

Kulbir Singh and Sapna Devi have filed an application under Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and other documents in the court of undersigned in which they stated that they intend to solemnized marriage within three calendar months.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection for this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 18-04-2017. The objection received after 18-04-2017 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 14-03-2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

In the Court of Arindam Chaudhary, IAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of:

Sunil Kumar aged 33 years s/o Shri Rattan Chand, r/o Village Bhadroli P.O. Bari, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

and

Kusum Kumari aged 24 years d/o Shri Surinder Kumar, r/o Village Badhukhar, P.O. Badhukhar, Tehsil Indora, District Kangra presently residing at Village Bhadroli, P.O. Bari, Tehsil & District Hamirpur (H.P.)

. . Applicants.

Versus

General Public

Subject. — Notice under Special Marriage Act, 1954.

Sunil Kumar and Kusum Kumari have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and other Supported documents in the court of undersigned in which they stated that they solemnized marriage on 24-01-2017.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection for this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 06-04-17. The objection received after 06-04-17 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 01-03-2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

In the Court of Arindam Chaudhary, IAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of:

Mangal Singh Katoch aged 26 years s/o Shri Pardeep Chand Katoch, r/o Village Bamner, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

and

Anju Devi aged 18 years d/o Shri Rashila Ram, r/o Village Nirkhiyan, Patlander, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) . . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice under Special marriage Act, 1954.

Mangal Singh Katoch and Anju Devi have filed an application under Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and other documents in the court of undersigned in which they stated that they intend to solemnized marriage within three calendar months.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection for this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 06-04-17. The objection received after 06-04-17 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 06-03-2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

> Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

In the Court of Arindam Chaudhary, IAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of:

Sukh Dev Singh aged 27 years s/o Shri Sher Singh, r/o Village Chamyola, P.O. Chauri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

and

Kamlesha Devi aged 18 years d/o Shri Shamsher Singh, r/o Village Bagan Kot, Tehsil Chasona, District Riari (J.K.) at present H/O Nand Lal, Village Dharnang, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice under Special marriage Act, 1954.

Sukh Dev Singh and Kamlesha Devi have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and other Supported documents in the court of undersigned in which they stated that they solemnized marriage on 01-12-16.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection for this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 06-04-17. The objection received after 06-04-17 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 06-03-2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

> Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

ब अदालत श्री दमोदर दास, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगडा (हि0 प्र0)

Tsering Yangkey w/o Tenzin Dorjee, r/o Village Tashijong, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यू पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Tsering Yangkey w/o Tenzin Dorjee, निवासी गांव Tashijong, डाकखाना Taragarh, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसकी Nephew Choenyi Lhamo का जन्म दिनांक 10–8–1984 को महाल Tashijong में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 12–04–2017 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 10-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री दमोदर दास, N.T.कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

Tenpa Rabgyal s/o Chotan, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Tenpa Rabgyal s/o Chotan निवासी गांव TCC Tashijong, डाकखाना Taragarh, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसकी Nephew Karma J.Tharchen का जन्म दिनांक 28–8–1973 को महाल Tashijong में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 12—4—2017 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 10-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री दमोदर दास, N.T. कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

Samten d/o Domakyar, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यू पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Samten d/o Domakyar निवासी गांव 15 Miles, डाकखाना near Manali, जिला Kullu, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसकी Nephew Khedrup का जन्म दिनांक 7–11–1980 को महाल Bir में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 12—4—2017 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 10-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगडा (हि0 प्र0)।

नाम परिवर्तन

मैं, सपना शर्मा पत्नी राकेश शर्मा, निवासी गांव सियोटी, डा० खा० जलाड़ी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हि० प्र० यह घोषणा करती हूं कि मेरे बेटे का नाम पंचायत जन्म प्रमाण—पत्र और स्कूल रिकार्ड में पारिस शर्मा दर्ज है। मैंने अपने बेटे का नाम बदल कर अब उमेश शर्मा रख दिया है। पंचायत रिकार्ड व स्कूल रिकार्ड में मेरे बेटे का सही नाम उमेश शर्मा दर्ज किया जाए।

सपना शर्मा

पत्नी राकेश शर्मा, निवासी गांव सियोटी, डा० खा० जलाड़ी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हि० प्र०।

8534